इकाई 9 अपराध का मीडिया में प्रतिनिधित्व*

संरचना

9.0 प्रस्तावना

9.1 अपराध और मीडिया के बीच संबंध

9.1.1 मीडिया में अपराधों का प्रतिनिधित्व

9.1.2 सामाजिक निर्माण के रूप में मीडिया में अपराध

9.1.3 अपराध आधारित विषय-वस्तु में वृद्धि के कारण

9.1.4 अपराध मीडिया से सरोकार

9.2 साइबर अपराध

9.2.1 साइबर अपराध का वर्गीकरण

9.2.2 साइबर अपराध के पीछे अभिप्रेरणा

9.2.3 लक्ष्य समूह

9.2.4 अपराधी के लक्षण

9.2.5 भारत में साइबर अपराध

9.2.6 साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक

9.2.7 साइबर कानून

9.2.8 साइबर अपराध को रोकना

9.3 मीडिया हिंसा के प्रभाव और हिसंक अपराध

9.3.1 मीडिया हिंसा के सिद्धांत

9.3.2 मीडिया के कारण होने वाली हिंसा को कम करने की रणनीतियाँ

9.4 सारांश

9.5 मुख्य शब्द

9.6 पुनरावलोकन प्रश्न

9.7 संदर्भ एवं पढ़ने के सुझाव

9.8 चित्रों के संदर्भ

9.9 अतिरिक्त ऑनलाइन संसाधन

सीखने के उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप, निम्नलिखित में सक्षम होंगे:

- मीडिया में अपराध का निरूपण कैसे किया जाता है, का वर्णन कर सकेंगे;
- यह जान सकेंगे कि साइबर अपराध और इसके प्रकार क्या हैं;
- भारत में साइबर कानूनों के विषय में जागरूकता विकसित कर सकेंगे; और
- मीडिया हिंसा का अपराध से संबंध जान सकेंगे।

*डॉ. नवीन कुमार, मनोविज्ञान विभाग, भीमराव अम्बेड़कर कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय; एवं डॉ. अनीशा जुनेजा, मनोविज्ञान विज्ञान, आर्यभट्ट कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

9.0 प्रस्तावना

एक सामाजिक समस्या अपराध वह है, जिसकी कोई राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। यह दुनिया भर की सरकारों के लिए चिन्ता का विषय है क्योंकि यह केवल पीड़ित या अपराध के लक्ष्य को प्रभावित ही नही करता है बल्कि पूरे राष्ट्र को सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रभावित ही नहीं करता है। भारतीय राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (2019) के अनुसार 51,56,172 अपराध रिपोर्ट हैं जिसमें 32,25,701 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अपराध और 19,30,471 विशेष और स्थानीय कानून के अर्न्तगत अपराध शामिल हैं। 28,918 हत्याओं के साथ 2018 में मामलों के पंजीकरण में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, 1,05,037 अपहरण के मामले, महिलाओं के खिलाफ 4,05,86 है। बच्चों के खिलाफ 1,48,185 अपराध; वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ 27,696 अपराध दर्ज किये गये और इसी तरह यह सूची आगे भी है। जनसंख्या के सभी संभावित वर्गों के लिए, अपराध ने केवल बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित की है।

एक शक्तिशाली उपकरण जो सर्वव्यापी है और न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि लोगों के मानसिकता को भी प्रभावित करता है, वह है संचार का मास मीडिया। ब्रॉडकास्ट ओडियन्स रिसर्च काउंसिल इंडिया ने खुलासा किया कि 2020 में भारत में टीवी दर्शकों की संख्या में नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई। सामान्य मनोरंजन चैनलों के गैर-प्राइम टाइम दर्शकों की संख्या, समाचार और बच्चों के लिए चैनलों में दर्शकों की संख्या, 2019 की तुलना में क्रमश 16 प्रतिशत, 26 प्रतिशत, 31 प्रतिशत बढ़ी (भारत में टी. वी दर्शकों की संख्या 2020 में नौ प्रतिशत बढ़ी, बी ए आर सी, 2021)।

तो आइए अब हम अपराध और मीडिया के बीच संबंधों पर चर्चा करें। यह इकाई भारत में साइबर अपराधों और साइबर कानूनों पर भी ध्यान केन्द्रित करेगी। अन्त में, हम मीडिया हिंसा और मीडिया के कारण होने वाली हिंसा को कम करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।

9.1 अपराध और मीडिया के बीच संबंध

मीडिया हमारे समकालीन सामाजिक जीवन को परिभाषित करने वाली विशेषता बन गया है। यह अपराध से संबंधित साख्यिंकीय आँकड़ों, प्रचलित अपराधों के प्रकार, जोखिम वाले लोगों और उचित प्रतिक्रियाओं के रूप में ज्ञान के अपराध को हमारे सामने प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि हमारे पास आमतौर पर इस क्षेत्र में व्यक्तिगत अनुभव की कमी होती है। इसलिए, टेलीविजन, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियों, इंटरनेट, मोबाइल फोन, सेटेलाइट, केबल और डिजिटल टेलीविजन जैसे मीडिया द्वारा बनाए गए निरूपणों की गंभीर रूप से छानबीन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। अपराध के मीडिया निरूपण कुछ के लिए अरुचिकर हो सकते हैं जबकि दूसरों के लिए आकर्षक हो सकते हैं, कुछ अन्य के लिए आकुल करने वाले या उत्तेजक, डरावने या क्रोध को भड़काने वाले हो सकते हैं (ग्रीर, 2009)।

9.1.1 मीडिया में अपराधों का प्रतिनिधित्व

- **अपराध समाचार** – यह चयन, प्रकरण और प्राथमिकता देने वाली प्रक्रियाओं के एक जटिल मिश्रण का परिणाम है जो पत्रकारों, संपादकों, उनकी कार्य की परिस्थितियों, व्यापक वातावरण और समाचार स्रोतों जैसे पुलिस, राजनेताओं, पीड़ित संगठनों या संबंधित पार्टियों के बीच बातचीत के माध्यम से उभरता है। चूंकि अपराध की रिपोर्टिंग करना महंगा है एवं प्रयास की माँग करता है, इसलिए

समाचार चैनलों या समाचार पत्रों के संपादकों जैसे पार्टियों के व्यवसायिक हित दक्षता और लागत प्रभावशीलता को अधिकतम करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में, अपराध सामग्री की प्रामाणिकता से समझौता हो जाता है। आज के समय में बहुत कम घटनाओं, आपराधिक या अन्यथा, को मीडिया के ध्यान के योग्य देखा गया है। उदाहरण के लिए, संपत्ति और सफेद पोश अपराधों की तुलना में अन्तः यौन अपराध और हिंसा को अधिक नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अपराध अधिक ''प्रतिष्ठित'' हो जाते हैं यदि उनमें प्रसिद्ध हस्तियाँ या उल्लेखनीय लोग शामिल हों (रोजेक, 2001)। उनकी प्रस्तुतिकरण में दृष्टिगत रूप से और भाषायी रूप से आवेश भरा रहता है जो व्यक्तिगत रूप से परानुभूति, तिरस्कार या सदमें के संवेगों को उत्पन्न करता है (ग्रीर, 2009)। उदाहरण के लिए, अपराध की एक छवि या विडियो फुटेज की उपलब्धता यह तय करती है कि इसे प्रसारित किया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा, जिससे अपराध पीड़ित या अपराधी को एक प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त देता है। समाचार पत्र के पास सीमित क्षेत्र या पाठक होने के कारण और पाठक से दूरी होने के कारण टेलीविजन या अन्य डिजिटल मान्य अपराध समाचार की रिपोर्टिंग की विषय-वस्तु और प्रकृति को प्रभावित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं (पोलक और कुबरीन, 2007)।

- **अपराध नाटक** — अपराध की लोकप्रियता और न्याय से संबंधित मनोरंजन की कोई सीमा नहीं होने के कारण अपराध को मीडिया में मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण और बहुत ही आम स्रोत माना जाता है (केलनन और रोसेन बर्गर, 2011)। मनोरंजन अपराध मीडिया पलायनवाद का एक रूप है और टेलीविजन उद्योग विशेष रूप से असाधारण क्षमता वाले लोगों के असंभव अपराधों, लड़ाइयों और दुस्साहसों का महिमामंडन करता है। इसके अलावा नई मीडिया प्रौद्योगिकीयों ने एक बटन के दबाने पर अपराध विषय-वस्तु को सुलभ बना दिया है। असीमित इंटरनेट और इलेक्ट्रोनिक गेजेट तेजी से किफायती होते जा रहे हैं, अब अपराध मनोरंजन सामग्री की दुनिया के दूर-दराज के कोनों में देखा जा रहा है। दुनिया भर में अनेक फिल्में और टेलीविजन श्रृंखलाऐं पुलिस, जासूसों, सेंधमारी और गैंगस्टर कहानियों के विषय-वस्तु के इर्द-गिर्द घूमती हैं। यहाँ तक कि विशेष रूप से हिन्दी फिल्म उद्योग में प्रेम-कहानियाँ भी ''डॉन'' का महिमामंडन करती हैं। ना केवल मुख्य धाराओं के अभिनेताओं को लेकर बल्कि अपराध करने वाले हिमायती नायक के कार्य को तर्क संगत ठहरा कर, वे अपराधी के लिए सहानुभूति, दुख और दया की भावना पैदा करने की कोशिश करती है। चाहे वह *धूम, गैंगस्टर, वन्स अपॉन ए टाईम इन मुम्बई, गैंग्स ऑफ वासेपुर,* जैसी हिन्दी फिल्में हों, इन फिल्मों की लोकप्रियता का अंदाजा उनके द्वारा बॉक्स ऑफिस पर सैकड़ों करोड़ की कमाई से आसानी से लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर हम पश्चिम में भी देखें तो एक लोकप्रिय प्लेटफार्म पर सबसे प्रचलित और प्रतिक्षित टी वी श्रृंखला *''मनी हाईस्ट''* है, जो एक बैंक डकैती पर आधारित नाटक है और युवाओं के बीच एक विश्वव्यापी घटना बन गई है।

9.1.2 सामाजिक निर्माण के रूप में मीडिया में अपराध

मीडिया वास्तविकता का निर्माण करता है और समाज के प्रभावशाली मूल्यों को जनता के सामने रखता है। ग्राम्सी (1971) द्वारा मीडिया आधिपत्य या मीडिया पूर्वाग्रह की अवधारणा जीवन की एक निश्चित शैली के प्रभुत्व को संदर्भित करती है और इसको भी कि इसे जनता में कैसे विसरित किया जाता है। यह माना जाता है कि मीडिया

शक्तिशाली क्षेत्रों की विचारधाराओं को जैसे कि सत्ताधारी और प्रभावशाली स्थितियों के साथ-साथ प्रमुख पूंजीवादी आर्थिक हितों को विशेषाधिकार देता है।

मीडिया में अपराध को इस प्रकार सामाजिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है:

- नौकरशाही के निर्णय जो यह निर्धारित करते हैं कि किन घटनाओं की रिपोर्ट करनी है और उन्हें कैसे रिर्पोट करना है। इस प्रकार, कोई भी समाचार ''मूल्य युक्त'' नहीं है (जेफ्रेस, 1986)।
- दर्शकों ने समाचार को समझने और व्याख्या करने के तरीके से अपनी वास्तविकता का निर्माण करना (विरजर और कुबरिन, 2004)।

9.1.3 अपराध आधारित विषय-वस्तु में वृद्धि के कारण

मीडिया में अपराध आधारित सामग्री में उल्लेखनीय वृद्धि के पीछे प्रमुख कारणों में यह शामिल हैं:

- मनोरंजन ने अपराध मीडिया पलायनवाद का एक रूप है और टेलीविजन उद्योग विशेष रूप से असाधारण क्षमताओं वाले लोगों द्वारा असंभव अपराधों, लड़ाइयों और दुस्साहसी कार्यों का महिमामंडन करना है (सुरेट और गार्डीनर-बेस, 2014)।
- दृष्टिगत घुसपैठ करने वाली तकनीकी रूप से सक्षम मीडिया में वृद्धि के साथ दर्शनरति (ताकँ-झाँक) और दर्शकों की मनोरंजन चेतना में वृद्धि (सुरेट और ओटो, 2002)।
- अपराध का सीधा प्रसारण दिखाने वाले निगरानी कैमरों की संख्या में वृद्धि।
- अपराध संबंधी विषय-वस्तु का तुरंत और विश्व स्तर पर उपलब्ध होना।
- अधिक व्यक्तिगत टेलीविजन देखने का अनुभव।
- टेलिविजन एक साझी रंगभूमि है और दर्शकों को घटनाओं के कूट शब्दों को पढ़ने के लिए कम विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है।
- प्रमुख राजनैतिक विचारधारा पुनरूत्पादन।
- विभिन्न संगठनात्मक दबाव।

9.1.4 अपराध मीडिया से सरोकार

उस जागरूकता के अलावा जो मीडिया अपराधों की रिपोर्ट करके और उनसे निपटने के लिए प्रशासनिक प्रणाली पर दबाव डालकर उत्पन्न करता है, इन्हें इंटरनेट के माध्यम से पहुँच आसान होने के कारण यह कई सरोकारों को भी उठाता है। इन सराकोरों में शामिल हैं:

- मीडिया ट्रायल के माध्यम से ज्यूरी सदस्यों पर प्रभाव।
- उपभोक्ताओं में अपराध के भय का बढ़ना।
- समाज के बारे में निम्न कोटि दृष्टिकोण की छवि का निर्माण।
- अपराध को केवल रिपोर्ट करने की बजाय विचारों के माध्यम से उसे उद्दीपक कारक बनाना।
- विषय-वस्तु की रिकॉर्ड करने के लिए विकल्पों की उपलब्धता इस प्रकार उपलब्ध है कि इसे बाद में और साथ ही साथ स्वविवेक के अनुसार बार-बार देखा जा सकता है।

- कमजोर समुदायों जैसे महिलाओं, मानसिक अस्वस्थता वाले लोगों और अल्पसंख्यकों पर प्रभाव।
- पुलिस का प्रायः नकारात्मक तरीके से चित्रण।
- एक 'आदर्शपीढ़ी' की छवियों के सन्दर्भ में असहाय और निर्दोष जबकि ''आदर्श अपराधी'' के रूप में आवश्यक मानवीय गुणों की कमी के रूप में रूढ़िबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना।
- जनमत की विकृति।
- मीडिया द्वारा हिंसा के निरूपण के परिणामस्वरूप वास्तविक जीवन में हिंसा।

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए 1

1) मीडिया में अपराध का निरूपण कैसे किया जाता है?

....

....

....

2) मीडिया में अपराध आधारित विषय-वस्तु के बढ़ने के क्या संभावित कारण हैं?

....

....

....

9.2 साइबर अपराध

प्रिन्ट मीडिया के समय में किये गये अपराध का प्रसार धीमा था। लेकिन प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, एक देश में किये गये अपराध को दूसरे देश में सक्रिय करना आसान हो गया है। इंटरनेट और इलेक्ट्रोनिक गेम्स के माध्यम से डिजीटल इंटरएक्टिव (संवादात्मक) मीडिया पारंपरिक प्रिन्ट, ध्वनि और दृश्य मीडिया के साथ जुड़ रहा है।

सुस्मान और व्यूस्टन (1995) (सरमा, सरमा और बरूआ, 2017) ''साइबर अपराध'' पारिभाषिक शब्द का प्रस्ताव करने वाले पहले व्यक्ति थे जो कृत्यों और आचरणों का एक संग्रह था। इन्हें साइबर आश्रित अपराध भी कहा जाता है, जो ऐसे अपराध हैं जिनहें केवल कम्पयूटर/लेपटॉप, कम्पयूटर नेटवर्क या सूचना संचार प्रौद्योगिकी की के अन्य रूपों की सहायता से भी अंजाम दिया जा सकता है। इसमें वाइरस या मैलवेयर फैलाना, हेकिंग और ड्रिस्ट्रीब्यूड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक (यू एन मैनवल ऑन प्रीवेशंन एंड कंट्रोल ऑफ कम्फ्यूटिड रिलेटिड क्राइम, 1995) शामिल हैं। साइबर अपराध की कुछ परिभाषाओं में कॉपीराइट उल्लघंन (कोन, 2005) के साथ-साथ साइबर स्टाकिंग और चाइल्ड प्रोनोग्राफ (जेवियार - गीज, 1997) भी शामिल हैं। इसलिए कंप्यूटर या उपकरण अपराध का एजेंट, सूत्रधार या लक्ष्य हो सकता है (गॉर्डन और फोर्ड, 2006)। साइबर अपराध की विशिष्टता यह है कि इसके लिए पीड़ित और अपराधी के सीधे संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं होती हैं। वे मीलों दूर से उन देशों से काम करते हैं, जहाँ साइबर अपराध कानून कमजोर या अस्तित्वहीन हो सकते हैं, जिससे पता लगाने और मुकदमा चलाने की संभावना कम हो जाती है (सरमा, सरमा और बरूआ, 2017)।

टेलीविजनों के डिजीटल रूपांन्तरण का उद्योग के संदर्भ में उत्पादन और वितरण पर कुछ परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव कथा के सन्दर्भ में शैली, सौन्दर्य शास्त्र, तकनीक और विषयवस्तु के संबंध के साथ-साथ दर्शकों के सन्दर्भ में सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक आयामों के संबंध में भी पड़ा है (डेनिज, 2021)। इसके अलावा *अमेज़ॅन* एवं *फ्लिपकार्ट* जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों के उपयोग के साथ, *स्वीगी* और *जोमेटो* जैसे खाद्य वितरण ऐप के बड़े पैमाने पर उपयोग और भारत में 2016 के विमुद्रीकरण के बाद और फिर 2020 में कोविड-19 के बाद, डिजीटल होने के कारण हमारे बैंक खाते कार्ड नम्बर आसानी से नेटवर्क पर हैं। संकुचित स्वनिर्धारित सर्च जो हमें उस एक सर्च द्वारा सुझाई जाती हैं जो हमने अतीत में की हो सकती हैं, इसका मतलब है कि हम आसानी से कैसे प्रौद्योगिकी की कृपा पर है।

डिजीटल सामग्री द्वारा बनाई गई व्यवसायिक रूप से जोखिम भरी कथा के कारण वर्तमान समय में और युग में साइबर अपराध अधिक नया हो गया है जो गैर कानूनी गतिविधि करने वाले लोगों के लिए जनसमर्थन बनाता है। एक इंटरनेट उपयोगकर्त्ता एक वायरस डाउनलोड कर सकता है, यदि उसे लगता है कि ई-मेल किसी ज्ञात स्रोत या किसी सम्मानित संगठन से आई है। कुछ दुर्भावनापूर्ण फाइलें उपयोगी प्रतीत होती है जो उपयोगकर्त्ताओं को उन्हें खोलने के लिए धोखा देती हैं। एक अपराधी लोगों को कॉल भी कर सकता है और एक सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ व्यक्ति होने का दिखावा कर सकता है, पासवर्ड और ओ टी पी (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त कर सकता है जिससे धन की धोखाधड़ी हो सकती है। साइबर अपराध जैसे हैकिंग, कंप्यूटर नेटवर्क में अवैध घुसपैठ के माध्यम से हो सकता है। यह व्यक्तिगत आँकड़े इकट्ठा करने और वेबसाइटों को खराब करने के लिए किया गया कंप्यूटर या नेटवर्क संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग या एक्सेस है। यह स्पैम या जंक मेल के माध्यम से होता है जो दुनिया भर के अनेक प्राप्तकर्ताओं को भेजे जाते हैं। यह कंप्यूटर की कार्यक्षमता और नेटवर्क स्पेस में व्यवधान या डाउन ब्रीडींग के माध्यम से हो सकता है, जैसे मैलवेयर द्वारा। मैलवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटरर्स के बीच फैलते हैं और उनके संचालन को बाधित करते हैं (किरवान और पॉवर, 2012)। यह फाइलों को हटा सकता है, सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत आँकड़े की चोरी हो सकती है। वायरस, वर्म्स, ट्रोजन और स्पाइवेअर के रूप में मौजूद हो सकता है जो एडवेअर के रूप में आते हैं।

साइबर अपराध समय के साथ कई तरह से विकसित हुआ है जैसे कि चित्र 9.1 में प्रदर्शित किया गया है।

Years	Types of Attacks
1997	Cyber crimes and viruses initiated, that includes Morris Code Worm and other.
2004	Malicious code, Torjan, Advanced worm etc.
2007	Identifying theif, Phishing etc.
2010	DNS Attack, Rise of Botnets, SQL attacks etc.
2013	Social Engineering DOS Attack, BotNets, Malicious Emalis, Ransomware attack etc.
Present	Banking Malware, Keylogger, Bitcoin wallet, Phone hijacking, Anroid hack, Cyber warfare etc.

चित्र 9.1 हाल के वर्षों में साइबर अपराध का विकास

9.2.1 साइबर अपराध का वर्गीकरण

सरमा, सरमा और बरूआ (2017) के अनुसार साइबर अपराध बहुविद रूपों में हो सकता है जिनमें शामिल हैं:

1) **एक व्यक्ति के खिलाफ साइबर अपराध** – साइबर अपराधियों द्वारा एक व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है, जैसे –

   - ई-मेल स्पूफिंग – एक जाली ई-मेल हैडर बनाना जिसमें संदेश ऐसा प्रतीत होता है, जैसे वास्तविक स्रोत के अलावा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त हुआ है जो ज्ञात या वैध प्रतीत होता है।
   - स्पैमिंग – जंक ई-मेल या सामूहिक संदेश जैसे स्पैम बाटॅस के माध्यम से पहुँचता है जो इंटरनेट में ई-मेल पतों की तलाश में घूमता है।
   - साइबर मान-हानि – साइबर स्पेस के माध्यम से दूसरों की नजर में व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना है।
   - इंटरनेट रिले चैट – रूम जिसमें दुनिया भर के अनेक लोग एक साथ चैट करते है और हैक करने, बैठके आयोजित करने की तकनीकों पर चर्चा करते हैं या पीडोफाइल छोटे बच्चों का आकर्षित करते हैं वे जबरन वसूली, यौन उत्पीड़न और धमकियों के लिए स्थान बन जाते हैं।
   - फिशिंग – हमलावर प्रतिष्ठित व्यक्ति या सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ होने का नाटक करके लॉगिन या खाता जानकारी प्राप्त करते हैं।

2) **संपत्ति के खिलाफ साइबर अपराध** – इसमें कंप्यूटरों के साथ जानबूझ कर माल की हानि करना के साथ-साथ कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क के बौद्धिक अपराध शामिल हैं। उनमें शामिल हैं:

   - सॉफ्टवेयर पाइरेसी – अनाधिकृत नकल
   - कॉपीराइट उल्लंघन – संगीत, सॉफ्टवेयर या टेक्स्ट जैसी कॉपीराइट सामग्री का उपयोग।
   - ट्रेड मार्क उल्लंघन – सर्विस मार्क या ट्रेड मार्क का अनाधिकृत उपयोग।

3) **संगठन के खिलाफ साइबर अपराध** – उनमें शामिल हैं :

   - अनाधिकृत रूप से आँकड़ो बदलना या मिटाना।
   - गोपनीय जानकारी को अनाधिकृत रूप से पढ़ना या कॉपी करना।
   - सर्वर पर हमला करना पीड़ित के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग में लाना जिससे उनके लिए उनका उपयोग करना मुश्किल हो जाता है।
   - ई-मेल बॉम्बिंग के नाम से जानी जाने वाली बहुत सारी ई-मेल, मेल बॉक्स को भरने के लिए एक ई-मेल पते पर भेजी जाती है।
   - बैंक और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी ग्राहक जानकारी को प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आँकड़े बेस पर हमला करना जिसे *सलामी हमला* कहा जाता है। हैकर समय समय पर छोटी-छोटी रकम निकाल लेता है जिसका पता नहीं चल पाता है या जिसके लिए कोई शिकायत दर्ज ही नहीं की जाती है।

4) **समाज के खिलाफ साइबर अपराध** – इसमें शामिल हैं:

   - जालसाजी, झूठे दस्तावेज, हस्ताक्षर, मुद्रा या राजस्व टिकट बनाना।

- वेब जैकिंग इसमें एक नकली वेबसाइट बनाई जाती है, जिस पर क्लिक करने पर असल में पीड़ित दूसरे लिंक पर क्लिक कर रहा होता है और नकली पेज पर पुनर्निर्देशित हो जाता है जो पीड़ित के सिस्टम पर पहुँच और नियंत्रण पाने के लिए समय लेता है।

9.2.2 साइबर अपराध के पीछे अभिप्रेरणा

साइबर अपराध करने वाले लोग विभिन्न कारणों से प्रेरित हो सकते हैं। जैसेः

- व्यक्तिगत लाभ या वित्तीय लाभ जैसे बैंक खातों तक पहुँचना
- प्रतिरोध का रूप या वेबसाइट को खराब करने जैसी आपराधिक क्षति
- बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए
- बदला लेने के लिए
- ऑनलाइन समुदायों के बीच सम्मान और शक्ति स्थापित करना
- बोरियत दूर करने के लिए

9.2.3 लक्ष्य समूह

जो लोग आमतौर पर साइबर अपराध के शिकार होते हैं वे हैंः

- युवा और पुरुष जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं
- मोबाइल फोन और स्मार्टफोन उपयोगकर्त्ता
- सार्वजनिक वाई-फाई सिस्टम के उपयोगकर्त्ता।

9.2.4 अपराधी के लक्षण

साइबर अपराध करने वाले लोगों के कई शोधकर्त्ताओं द्वारा प्रोफाइल बनाए गए हैं। रोजर्स (2000) ने निष्कर्ष निकाला कि इसमें ये लोग हो सकते हैंः

- स्क्रिप्ट किड़ीज – सीमित कौशल और अनुभव वाले लोग जो दूसरों द्वारा विकसित उपकरणों पर निर्भर हैं।
- साइबर पक्स – वे लोग जिनका इरादा हमला करने और तोड़फोड़ करने का है।
- आन्तरिक लोग – वे लोग जो अन्दरूनी हैं और जिनके पास विशेषाधिकार पहुँच है या जो असन्तुष्ट कर्मचारी हैं।
- कोडर्स – जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत कुशल हैं।
- ओल्ड गार्ड हैकर्स – जिनके पास आपराधिक मंशा या कौशल नहीं है, लेकिन वे सिस्टम की कमजोरियों को खोजना चाहते हैं।
- पेशेवर अपराधी
- साइबर आतंकवादी

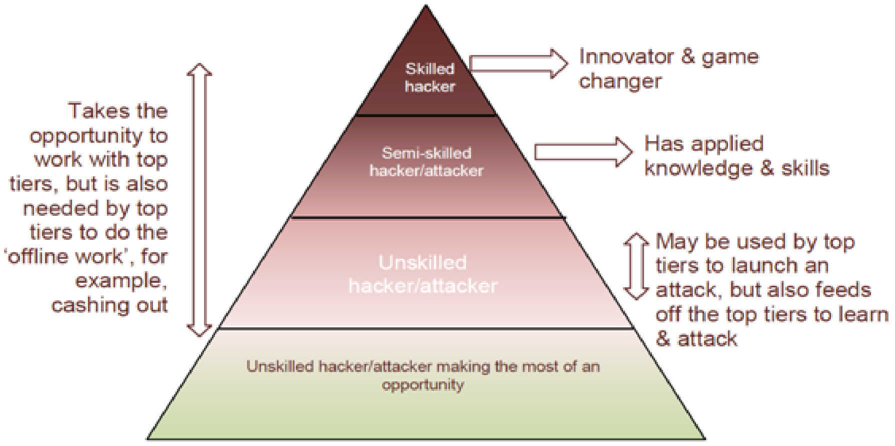

चित्र 9.2 साइबर हमलावर के कौशल के स्तर (होल्ट, 2013)

9.2.5 भारत में साइबर अपराध

केस विगनेट

श्रीकृष्णा नाम के एक हैकर ने ई-गवर्नेंस के लिए केन्द्र के पोर्टल को हैक कर लिया और 10.5 करोड़ रूपये और 1.05 करोड़ रुपये की राशि एक गैर सरकारी संगठन (एन जी ओ) उदय ग्राम विकास संस्था, नागपुर और प्रोपराइटरशिप निम्मी एंटरप्राइजिज, बुलंदशहर, यूपी के नाम के बैंक खातों में भेज दी गई। बाद में नागपुर एन जी ओ ने माल की वास्तविक खरीद या बिक्री के बिना व्यापार के लेन-देन की आड़ में विभिन्न विक्रेताओं और व्यापारियों के बैंक खातों में धन को ''वितहित'' कर दिया। निम्मी इंटरप्राइजिस ने व्यापारिक लेन-देन और व्यक्तिगत ऋण की आड़ में विभिन्न विक्रेताओं और बैंक खातों में धन जमा कर दिया (जॉनसन, 2021)।

एन. सी. आर. बी. (2019) के अनुसार, साइबर अपराध के तहत् कुल 44,546 मामले दर्ज किए गए, जो 2018 (27,248 मामलें) की तुलना में 2019 में पंजीकरण में 63.5 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्शाती है। इस श्रेणी के तहत् अपराध दर 2018 में 2.0 से बढ़कर, 2019 में 3.3 हो गई। 2019 के दौरान, दर्ज किए गए साइबर अपराध के 60.4 प्रतिशत मामले धोखाधड़ी (44,546 मामलों में से 26,891) के परियोजन से थे, इसके बाद 5.1 प्रतिशत यौन शोषण के (2266 मामले) और 4.2 प्रतिशत बदनामी करने (1876 मामले) के थे। के पी एम जी ने अपनी साइबर क्राइम सर्वे रिपोर्ट (2014) में, 89 प्रतिशत भारतीय संगठनों ने साइबर अपराध को ''प्रमुख खतरा'' माना है। नोर्टन साइबर क्राइम रिपोर्ट (2011) ने बताया कि 30 मिलियन भारतीय अपराध के शिकार हुए हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को सालाना 7.6 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। यह अनुमान है कि भारत में 10 प्रतिशत साइबर अपराध रिपोर्ट किये जाते हैं, जिनमें से केवल 2 प्रतिशत ही वास्तव में पंजीकृत हैं। उसमें भी सजा की दर केवल दो प्रतिशत थी (क्षेत्री, 2013)।

भारत के डिजीटिलाइजेशन के साथ हमारा उद्देश्य समाज को सूचना समाज में बदलना है जहाँ इंटरनेट का उपयोग संवेदनशील लेन-देन करने और कलाउड पर आँकड़े संग्रह करने के लिए किया जाऐगा। उदाहरण के लिए, अत्यंत महत्वाकांक्षी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) एक ऐसी परियोजना रही है जिसमें सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए निवासी को जीवमितिय (बायोमैट्रिक) आई डी की आवश्यकता होती है। ई-गवर्नेंस, क्लाउड प्लेटफार्म में बारह अंकों के आधार नम्बर को दस फिंगर प्रिंट, आँख की पुतली स्कैन, नाम, जन्म तिथि, पता संग्रह की आवश्यकता होगी। कई विद्वानों ने चर्चा की है कि यह कैसे आने वाले भविष्य में

भारत को साइबर अपराधों के प्रति अधिक प्रवृत्त बना सकता है। इस तरह के सरोकारों के बावजूद और जबकि दुनिया साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन (1 जुलाई, 2004 से प्रभावी) को स्वीकार कर रही है। पहली अन्तर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय सन्धि जो सीमापार एक अपराधिक नीति द्वारा राष्ट्रीय कानूनों का सामान्जस्य करके साइबर अपराधों से निपटने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करती है, भारत ने अभी तक उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं (इकबाल और बेघ, 2017)। भारतीय परिवारों के एकल होते जाने के साथ, बुजुर्गों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है और इसलिए वे साइबर स्पेस में धोखाधड़ी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं (चोक्कानाथन, नटराजन और मोहंती, 2011)। किसी के जीवन की आखिरी अवस्था में चिकित्सा उपचार के लिए महत्वपूर्ण जीवन भर की बचत पर इसका अत्यधिक प्रभाव हो सकता है।

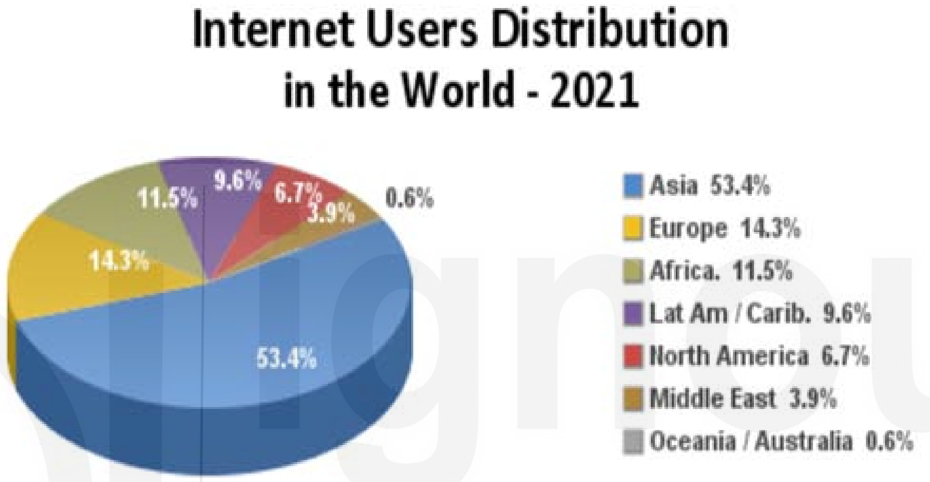

स्रोत: Internet World Stats - www.internetworldstats.com/stats.htm
Basis: 5,168,780,607 Internet users in March 31, 2021
Copyright © 2021, Miniwatts Marketing Group

9.2.6 साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक

जबकि माता-पिता यह दिखाने में गर्व का अनुभव कर सकते हैं कि उनके बच्चे कैसे अपने आप मोबाइल और लेपटॉप संचालित कर सकते हैं, परन्तु यह भविष्य में यंत्रों की लत का पूर्ववर्ती है। गैजेट्स अब किशोरों के लिए अधिकाधिक उपलब्ध हो रहे हैं और इनका दुरूपयोग भी हो रहा है। यह साइबर अपराध के मुद्दों को भी जन्म दे सकता है (पद्मावथ्थी, 2018)। क्षेत्री (2016) के अनुसार, साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा के मामले भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निम्नलिखित कारकों की सहायता से समझाये जा सकते हैं:

- **विकासशील अर्थव्यवस्था की सामाजिक और आर्थिक विशेषताएँ** – आय और शिक्षा का निम्न स्तर अपर्याप्त मानव विकास, उच्च बेरोजगारी, उच्च स्तर की आय असमानता और कमजोर लोकतांत्रिक संस्थाओं को जन्म देता है।

- **राजनैतिक और आर्थिक संस्थाएँ** – सरकार के पास तकनीकी विशेषज्ञता, कानून प्रर्वतन के लिए जनशक्ति और सटीक आपराधिक डेटाबेस का अभाव है।

- **संस्कृति या अनौपचारिक संस्थाएँ** – साइबर अपराध को एक कंलक नहीं माना जाता है। साइबर अपराधियों में अपराध बोध और नैतिक भावना का अभाव

है। कॉल सेंटर के कर्मचारी सुरक्षा जाँच से गुजरना अपमानजनक मानते हैं। पासवर्ड साझा करना एक बहुत ही आम व्यवहार है।

- **मानव पूँजी** – साइबर सुरक्षा से संबंधित जनशक्ति की कमी और इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं में साइबर सुरक्षा उन्मुखीकरण की कमी, साइबर विशेषज्ञों की निम्न माँग और एन्टीवायरस सॉफ्टवेयर जैसी बुनियादी सुरक्षा प्रणालियों पर अधिक निर्भरता।

- **प्रौद्योगिकी** – साइबर सुरक्षा संबंधी प्रौद्योगिकी की कम स्वीकृति, अल्प विकसित साइबर सुरक्षा प्रणाली, कम लागत वाली प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा से संबंधित स्वदेशी प्रौद्योगिकी और पेटेंटों का अभाव, अपराध उन्मुख प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले कंप्यूटर और अनुसंधान और विकास में निवेश का निम्न स्तर।

9.2.7 साइबर कानून

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (2000) डिजीटल अपराधों या साइबर अपराधों और ई-कामर्स से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र मॉडल इलेक्ट्रोनिक्स कामर्स कानून, 1996 (UNCITRAL Model) पर आधारित, इसमें शामिल हैं:

- ई-मेल को संचार का वैध और कानूनी रूप माना जाता है।
- डिजीटल हस्ताक्षर की कानूनी वैधता।
- नये व्यवसायों और कम्पनियों को डिजीटल प्रमाणपत्र जारी करना।
- सरकार को ई-गवर्नेंस के माध्यम से इंटरनेट पर नोटिस जारी करने की अनुमति देता है।
- कम्पनियों के बीच या कम्पनियों और सरकार के बीच संचार, इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है।
- किसी भी प्रकार का साइबर अपराध दंडनीय है।

9.2.8 साइबर अपराध को रोकना

जबकि साइबर कानून मौजूद है, फिर भी हमें प्रौद्योगिकी के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी और प्रौद्योगिकी पर हमारी बढ़ती निर्भरता से सावधान रहना चाहिए। अतः रास्कर और पोल (2019) के अनुसार साइबर अपराध का शिकार होने से स्वयं को बचाने के लिए ये उपाय उपयोगी माने जा सकते हैं:

- कंप्यूटर को नियमित रूप से अपडेट करना।
- मजबूत पासवर्ड सेट करना।
- ऑनलाइन उपयोग की जाने वाली प्रत्येक सेवा के लिए समान पासवर्ड का उपयोग ना करना।
- पासवर्ड नियमित रूप से बदलना।
- कंप्यूटर की सुरक्षा सॉफ्टवेयर से सुरक्षित रखना।
- व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करने में सावधान रहना।

- किसी भी अजीब ई-मेल से सावधान रहना।
- व्यक्तिगत जानकारी माँगने वाले संदेशों का उत्तर नहीं देना।
- वेबसाइटों की गोपनीयता नीतियों पर ध्यान देना।
- अपने ई-मेल पते की सुरक्षा करना।
- नियमित रूप से बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की समीक्षा करना।
- किशोरों के साथ इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के पर्यवेक्षित उपयोग।
- सोशल मीडिया का सुविज्ञ उपयोग सुनिश्चित करना और इंटरनेट के साथ-साथ बच्चों और किशोरों में गेजेट्स की बुनियादी सुरक्षा के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करना।

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए 2

1) साइबर अपराध को परिभाषित कीजिए।

....

....

....

2) साइबर अपराध के अपराधी के लक्षण की सूची बनाइये।

....

....

....

9.3 मीडिया हिंसा के प्रभाव और हिंसक अपराध

20 जुलाई 2012 को फिल्म *बैटमैनः द डार्क नाइट राइजिज* की स्क्रीनिंग के दौरान हुई कालोराडो सामूहिक शूटिंग की घटना एक अविस्मरणीय घटना है। दोषी जेम्स इ होम्स एक बैलेस्टिक हेलमेट, बुलेट प्रूफ बनियान, बुलेट प्रूफ लेगिंग, एक मास्क और दस्ताने पहने कर आया था। सैंकड़ों उपस्थित संदेहहीन लोगों की भीड़ को गोली मारने से पहले से उसने कई धूमबमों का विस्फोट किया। दस की मौके पर ही मौते हो गई जबकि दो की स्थानीय अस्पतालों में मौत हुई जबकि सत्तर लोग घायल हुए। घटना के कुछ ही मिनटों के भीतर होम्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कहा कि वह द जोकर था, जो ''बैटमैन'' फिल्म की तिकड़ी, ''द डार्क नाइट'' की दूसरी किश्त में खलनायक थे। जाँच पड़ताल में उसके घर पर भारी मात्रा में गोला बारूद पाया गया (जैकोबो, 2017)। इसी तरह के एक रिर्पोट किए गये अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के मामले में, एक 28 वर्षीय पुरूष ने एक पूर्व-नियोक्ता को स्वयं की ''जोकर'' से तुलना करते हुए गोली मारने की धमकी दी, जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया (गोर्मन, 2012)। हिन्दी फिल्म *''स्पेशल 26''* से प्रेरित होकर पाँच लोगों के एक गिरोह ने स्वयं को सीबीआई अधिकारियों के रूप में छद्म वेश धारण किया और उत्तर-पश्चिम दिल्ली में एक डॉक्टर के घर से 36 लाख रूपये, आभूषण और विदेशी मुद्रा लूट ली (27 मार्च, 2021)।

हास्य पुस्तकों, संगीत, टेलीविजन और फिल्मों के रूप में मीडिया के बारे में चिन्ताएँ बढ़ रही हैं, जो विद्रोह, हिंसा और नैतिक पतन की ओर ले जा रही है (फर्ग्युसन,

2009)। इंटरनेट के साथ-साथ पबजी और इस तरह के अन्य प्रकार के वीडियो गेम्स की लोकप्रियता के साथ, आक्रामकता पर सामाजिक अधिगम् आधारित प्रभाव के लिए बंडुरा की बोबोडॉल प्रयोग चर्चा के और अधिक सबूत सुदृढ़ हो सकते हैं।

9.3.1 मीडिया हिंसा के सिद्धांत

चूंकि जिस क्रिया विधि द्वारा मीडिया लोगों को आक्रामक रूप से कार्य करने के लिए प्रभावित करता है, वह अपने भीतर मानवीय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को लाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि मीडिया और हिंसा के बीच के संबंधों को सिद्धान्तकारों ने कैसे समझा है। निम्नलिखित दृष्टिकोण कुछ परिप्रेक्ष्य प्रदान करने में मदद करते हैः

- **सामाजिक अधिगम दृष्टिकोण** – यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि व्यक्ति जो देखते हैं उसका अनुकरण करते हैं। उदाहरण के लिए, आक्रामकता का सामाजिक अधिगम मॉडल (बंडुरा, 1977), सामान्य आक्रामकता मॉडल (ब्रुशमैन और एंडरसन, 2002), हिसंक मीडिया देखने के परिणामस्वरूप हिंसक मीडिया संज्ञानात्मक लिपि विकसित करने वाले लोगों के बारे में बात करते हैं। इसलिए वास्तविक जीवन की परिस्थिति में वे शत्रुता के साथ प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति रखते हैं, यह इन सिद्धांतों द्वारा बनाई गई एक प्रस्थापना है।

- **भाव विरेचन (कैथार्सिस) मॉडल** – इन मॉडलों के अनुसार आक्रामकता को एक जैविक अंतर्नोद (ड्राइव) माना जाता है जिसकी अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है (लॉरेंज़, 1963)। इसलिए मीडिया हिंसा इन आक्रामक अंतर्नोद को मुक्त करने का एक निर्गम द्वार (आउटलेट) प्रदान करती है। इस मॉडल के अनुसार, हिंसक मीडिया का उपयोग करने वाले लोगों से कम आक्रामक होने की उम्मीद की जानी चाहिए। इसे स्वीकार करना निश्चित रूप से एक मुश्किल प्रस्थापना है।

- **उत्प्रेरक मॉडल** – चूंकि मीडिया हिंसा को हिसंक अपराध से जोड़ने वाले शोध के सबूत स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए फर्ग्युसन तथा अन्य (2008) ने प्रस्तावित किया कि आक्रामकता जैविक और बाह्य शक्तियों के बीच एक अन्तःक्रिया है। उदाहरण के लिए, आनुवंशिकी के साथ शारीरिक शोषण का परिणाम एक असामाजिक व्यक्तित्व हो सकता है। पर्यावरणीय तनाव के कारक मौलिक रूप से हिंसा के लिए उत्प्रेरक हैं क्योंकि ये किसी ऐसे व्यक्ति में विशिष्ट हिसंक कृत्यों का कारण नहीं बनते हैं, लेकिन उन्हें उत्तेजित करते हैं जो पहले से ही हिसंक व्यवहार के लिए प्रवृत्त होते है। दूसरी ओर, मीडिया हिंसा न तो एक कारण है और न ही एक उत्प्रेरक। लेकिन वास्तव में यह एक शैलीगत उत्प्रेरक है क्योंकि जो व्यक्ति आक्रामक तरीके से कार्य करने का निर्णय लेते हैं, वे कभी-कभी ऐसा कर सकते हैं जैसा उन्होंने मीडिया में देखा हो। मीडिया को प्रभाव के अभाव में, ये व्यक्ति फिर भी हिंसक रूप से कार्य करेंगे लेकिन थोड़ा अलग तरीके से।

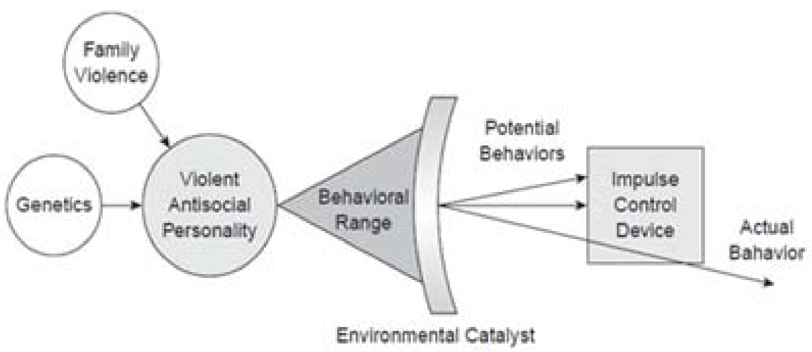

चित्र 9.3 हिंसा का उत्प्रेरक मॉडल (फर्ग्युसन एवं अन्य, 2008)।

9.3.2 मीडिया के कारण होने वाली हिंसा को कम करने की रणनीतियाँ

यह पहचानना आवश्यक है कि मीडिया का व्यक्तियों की विचार प्रक्रियाओं और व्यवहारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हमारे दैनिक जीवन के उद्देश्यों के लिए मीडिया पर बढ़ती हमारी निर्भरता हमें मीडिया से दूर नहीं होने देगी। एक जिम्मेदार मीडिया वह है जो व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक प्रयासों के साथ, आक्रामक व्यवहार की निगरानी और विनियमन करता है। कुछ उपायों में शामिल हैं:

- राजनेताओं, निर्माताओं और शिक्षकों के बीच सार्वजनिक बहस और बातचीत।
- उत्पादकों के लिए एक पेशेवर आचार संहिता और आत्म अनुशासन का विकास।
- सक्षम और महत्वपूर्ण मीडिया उपयोगकर्त्ता बनाने के लिए मीडिया शिक्षा के अभिनव रूप।

मीडिया जीवन पर्यन्त लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हैं जबकि भारत पहले से ही स्मार्ट फोन युग की ओर बढ़ रहा था, कोविड-19 ने ऑनलाइन शिक्षण अधिगम और घर से काम करने की परिस्थितियों को गति दी। सबसे छोटे बच्चों से लेकर सबसे वृद्ध व्यक्ति तक के हाथों में इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के साथ, हम उस सामग्री को स्क्रॉल करने और उस तक पहुंच पाने के लिए बाध्य हैं जो पहले इतनी आसानी से उपलब्ध नही थीं। ओ टी टी प्लेटफार्मों के टेलीविजन की सीमाओं को पार करने के साथ, घर पर रहने के परिणामस्वरूप एक के बाद एक श्रृंखलाओं (सीरीज) का उपयोग या ''ज्यादा उपयोग'' हुआ है। मीडिया सन्सर्ग के कारण होने वाली सामाजिक शिक्षा के साथ-साथ, हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिदृश्य को समान भूमिका निभानी है। बेरोजगारी, निर्धनता आकाक्षाएं और ईर्ष्या कुछ ऐसे कारक हैं जिनके परिणामस्वरूप निराशा और आक्रामकता और हिंसा का विस्थापन होता है। जिसके परिणामस्वरूप साबइर अपराध सहित विभिन्न रूपों में अपराधों का जन्म होता है।

यह महत्वपूर्ण है कि समाज इस बात की जिम्मेदारी ले कि किस तरह से तकनीकी प्रगति मानव व्यवहार पर हानिकारक प्रभाव डाल रही है और समाज उपलब्ध दृश्य और श्रव्य दृश्य सामग्री के लिए एक आलोचनात्मक रूप से ग्रहण करने की दिशा में काम करे।

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए 3

1) भाव विरेचन (कैथार्सिस) मॉडल कैसे मीडिया हिंसा की व्याख्या करता है?

....

....

....

2) मीडिया के कारण उत्पन्न हिंसा को कम करने के उपाय सुझाइए।

....

....

....

9.4 सारांश

आइये इस इकाई में हमने जो सीखा है, उसे सारांशित करें:

- अपराध एक सामाजिक समस्या है जिसका मीडिया से गहरा संबंध है। इस प्रकार टेलीविजन, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल फोन, सेटेलाइट, केबल और डिजीटल टेलीविजन जैसे मीडिया रूपों द्वारा निर्मित निरूपणों की आलोचनात्मक जाँच पड़ताल महत्वपूर्ण हो जाती है।

- मीडिया में अपराध का निरूपण अपराध समाचार और अपराध नाटक के माध्यम से होता है। मीडिया में अपराध सामाजिक रूप से उन नौकरशाही निर्णयों के माध्यम से निर्मित होता है कि क्या रिपोर्ट करना है और कैसे रिपोर्ट करना है। दर्शकगण भी अपनी वास्तविकता का निर्माण उसी तरह से करते हैं जिस तरह से इसे वे समझते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं।

- समय के साथ, मीडिया में अपराध आधारित विषय-वस्तु में वृद्धि हुई है और अब इंटरनेट के माध्यम से सुगुम पहुंच के साथ, इसने प्रमुख सरोकार खड़े किये हैं।

- प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य उपकरणों की मदद से अपराध किये जा रहे हैं। इसे साइबर अपराध के नाम से जाना जाता है। साइबर अपराध किसी व्यक्ति, संगठन, समाज या संपत्ति के खिलाफ हो सकता है। भारत में साइबर अपराध की दर में 63.5% की वृद्धि हुई है।

- भारत जैसे विकासशील देशों में, साइबर अपराधों की वृद्धि के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि जैसे विभिन्न कारणों को उत्तरदायी बताया गया हैं भारत का सूचना प्रौद्योगिकी की अधिनियम (2000) साइबर अपराधों से निपटता है।

- मीडिया और हिंसा के बीच संबंधों की व्याख्या करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों जैसे सामाजिक अधिगम के दृष्टिकोण, भाव-विरेचन मॉडल, और उत्प्रेरक मॉडल को प्रस्तुत किया गया है।

- मीडिया के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह मीडिया के कारण होने वाली हिंसा को कम करने में एक जिम्मेदार भूमिका निभाए।

9.5 मुख्य शब्द

कॉपीराइट उल्लंघनः साइबर अपराध का एक रूप जिसमें कॉपीराइट सामग्री जैसे संगीत, सॉफ्टवेयर या टेक्स्ट का उपयोग शामिल है।

साइबर अपराधः ऐसे अपराध जो केवल कंप्यूटर/लैपटॉप, कंप्यूटर नेटवर्क या सूचना संचार प्रौद्योगिकी के अन्य रूपों की सहायता से किए जा सकते हैं।

साइबर पंक्सः साइबर अपराध करने वाले लोग जिनका इरादा हमला करने और तोड़ फोड़ करने का होता है।

ई-मेल स्पूफिंगः साइबर अपराध का एक रूप जिसमें जाली ई-मेल हैडर लगाना शालि है जिससे संदेश ऐसा प्रतीत होता है जैसे वास्तविक स्रोत के अलावा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त हुआ हो जो ज्ञात या वैध प्रतीत होता है।

आंतरिक व्यक्ति : वे लोग जो साइबर अपराध करते हैं और अंदरूनी व्यक्ति होते हैं जिनके पास विशेषाधिकार पहुँच है या जो असन्तुष्ट कर्मचारी हैं।

ओ टी टी : इसका अर्थ है ''ओवर द टॉप'' जो अनुरोध पर और व्यक्तिगत उपभोक्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप इंटरनेट पर टेलीविजन और फिल्म सामग्री प्रदान करने का एक साधन है। इसका तात्पर्य है कि एक सामग्री प्रदात्ता मौजूदा इंटरनेट सेवाओं के शीर्ष के ऊपर से जा रहा है।

फीशिंग : साइबर अपराध का एक रूप जिसमें हमलावर प्रतिष्ठित व्यक्ति या सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ होने का नाटक करके लॉगिन या खाता जानकारी प्राप्त करते हैं।

वैब जैकिंग : साइबर अपराध का एक रूप जिसमें एक नकली वेब साइट का निर्माण शामिल होता है, जिस पर क्लिक करने पर पीड़ित वास्तव में दूसरे लिंक पर क्लिक कर रहा होता है और नकली पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित हो जाता है, जिससे पीड़ित के सिस्टम पर पहुँच और नियंत्रण प्राप्त करने के लिए कुछ समय मिल जाता है।

स्क्रिप्ट कीड़िज : साइबर अपराध करने वाले वे लोग जिनके पास सीमित कौशल और अनुभव है जो दूसरों द्वारा विकसित उपकरणों पर निर्भर हैं।

9.6 पुनरावलोकन प्रश्न

1) मीडिया में अपराध का निरूपण किसके माध्यम से होता है?

   क) अपराध समाचार और अपराध नाटक

   ख) रियलिटी टी वी शो

   ग) क्राइम पेट्रोल

   घ) फिल्में

2) .... निर्णय मीडिया चैनलों पर घटनाओं की रिपोर्टिंग में प्रकृति को निर्धारित करते हैं।

   क) आंतरिक

   ख) नौकरशाही

   ग) प्रबंधन

   घ) सरकारी

3) अदालत द्वारा दिये गये किसी फैसले की परवाह किये बिना, आरोपी के अपराध के व्यापक कवरेज और उसके बारे में एक निश्चित धारणा थोपने के माध्यम से न्यायालय द्वारा अपने निर्णय देने से पहले ही आरोपी को दोषी घोषित करने की घटना को यह नाम दिया गया है:

   क) पब्लिक ट्रायल

   ख) समाचार पत्र आधारित ट्रायल

   ग) मीडिया ट्रायल

   घ) उपरोक्त में से कोई नहीं।

4) पारिभाषिक शब्द ''साइबर अपराध'' किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था?

   क) सुस्मान और हयूस्टन

ख) सरमा, सरमा और बरूआ

ग) फर्ग्यूसन

घ) हॉल्ट

5) साइबर मानहानी किसके खिलाफ एक प्रकार का साइबर अपराध है?

क) व्यक्ति

ख) संपत्ति

ग) संगठन

घ) समाज

6) जालसाजी किसके खिलाफ साइबर अपराध का एक रूप है?

क) व्यक्ति

ख) संपत्ति

ग) संगठन

घ) समाज

7) अन्तर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय सन्धि जो सीमापार एक आपराधिक नीति द्वारा राष्ट्रीय कानूनों के सामजंस्य द्वारा साइबर अपराधों से निपटने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करती है, और जो भारत द्वारा अभी तक हस्ताक्षरित नहीं की गई है, वह है:

क) साइबर अपराध पर यू एस कन्वेशन

ख) साइबर अपराध पर बूड़ापेस्ट कन्वेशन

ग) साइबर अपराध पर यू एन कन्वेशन

घ) साइबर अपराध पर भारतीय कन्वेशन।

8) भारतीय कानून में डिजीटल अपराधों से निपटने के लिए एक अधिनियम भी शामिल है। इसे कहा जाता है:

क) प्रौद्योगिकी अधिनियम

ख) कंप्यूटर अधिनियम

ग) भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम

घ) इलेक्ट्रॉनिक कामर्स पर यू एन मॉडल लॉ

9) सामान्य आक्रामकता मॉडल .... लिपियों की भूमिका पर चर्चा करता है जो हिंसक मीडिया को देखने का परिणाम हैं:

क) व्यवहारवादी

ख) आक्रामक

ग) अचेतन

घ) संज्ञानात्मक

10) उत्प्रेरक मॉडल का प्रस्ताव है कि मीडिया न तो एक कारण या उत्तेजक है बल्कि एक .... उत्प्रेरक है जो व्यक्तियों को हिंसक कार्य करने का एक तरीका प्रदान करता है:

क) वृद्धि कारक

ख) संभावित

ग) शैलीगत

घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

9.7 संदर्भ एवं पढ़ने के सुझाव

Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002).The effects of media violence on society. *Science*, *295*(5564), 2377-2379.

Callanan, V. J., & Rosenberger, J. S. (2011). Media and public perceptions of the police: Examining the impact of race and personal experience. *Policing & Society*, *21*(2), 167-189.

Chokkanathan, S., & Natarajan, A. (2018).Perceived quality of life following elder mistreatment in rural India. *The Journals of Gerontology: Series B*, *73*(5), e69-e80.

Cybercrime survey report (2014). *Forensic Technology Services, KPMG*. Retrieved from https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2014/07/KPMG_Cyber_Crime_survey_report_2014.pdf

Deniz, K. (2021). Deniz, K. (2021). Question Concerning Evil in the Age of New Television: Dichotomy of Good and Evil in Money Heist. In *International Perspectives on Rethinking Evil in Film and Television* (pp. 135-149).IGI Global.

Ferguson, C. J. (2009). Media violence effects: confirmed truth or just another X-file?. *Journal of Forensic Psychology Practice*, *9*(2), 103-126.

Gordon, S., & Ford, R. (2006).On the definition and classification of cybercrime. *Journal in Computer Virology*, *2*(1), 13-20.

Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*.(Q. Hoare & Geoffrey Nowell-Smith, Eds. and Trans.). New York, NY: International Publishers.

Greer, C. (2009). Crime and media: understanding the connections. *Criminology*, *2*, 177-203.

Information Technology Act of India (2000). *India Code Digital Repository of all Central & State Acts*. Retrieved from https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/13116/1/it_act_2000_updated.pdf

Inspired by Bollywood movie 'Special 26', five rob cash, jewellery from doctor's house; 3 held (2021, March 27). *The Hindustan Times*. Retrieved from https://www.hindustantimes.com/cities/delhi-news/inspired-by-bollywood-movie-special-26-five-rob-cash-jewellery-from-doctor-s-house-3-held-101616857529997.html

Iqbal, J., & Beigh, B. M. (2017). Cybercrime in India: trends and challenges. *International Journal of Innovations & Advancement in Computer Science*, *6*(12), 187-196.

Jacobo, J. (2017, July 20). A look back at the Aurora, Colorado, movie theater shooting 5 years later.*abc News*. Retrieved from https://abcnews.go.com/US/back-aurora-colorado-movie-theater-shooting-years/story?id=48730066

Jeffres, L. W. (1986). *Mass Media: Processes and Effects*. Prospect Heights, IL: Waveland Press.

Johnson, T.A. (2021, August 11). Probe into Rs 11.5-cr Karnataka cyber theft: ED attaches Rs 1.44 cr in accounts linked to UP firm. *The Indian Express*. Retrieved from https://indianexpress.com/article/cities/bangalore/probe-into-rs-11-5-cr-karnataka-cyber-theft-ed-attaches-rs-1-44-cr-in-accounts-linked-to-up-firm-7448022/

Jewkes, Y. (2017). Media & Crime. UK: Sage Publications Ltd.

Kshetri, N. (2013). Cybercrime and cybersecurity in India. In *Cybercrime and Cybersecurity in the Global South* (pp. 101-118). Palgrave Macmillan, London.

Kirwan, G., & Power, A. (2012). Can Forensic Psychology Contribute to Solving the Problem of Cybercrime?. In *The Psychology of Cyber Crime: Concepts and Principles* (pp. 18-36). IGI Global.

Kirwan, G. & Power, A. (2013).*Cybercrime: The Psychology of Online Offenders*. UK: Cambridge University Press

Krone, T. (2005).*Concepts and Terms:High tech crime brief*. Australian Institute of Criminology. Retrieved from https://www.aic.gov.au/publications/htcb/htcb1

Kumar, N. (2020). *Media Psychology: Exploration and Application*. India: Routledge

Lorenz, K. (1963). *On aggression*. London: Methuen.

National Crime Records Bureau (2019).*Crime in India- Statistics*. Retrieved from https://ncrb.gov.in/sites/default/files/CII%202019%20Volume%201.pdf

Padmavathy, R. D. (2018). Cybercrime in India: A Trend Analysis Specific to North East. *Aayushi International Interdisciplinary Research Journal*, *5*(4), 88-96.

Schlesinger, P., & Tumber, H. (1994). *Reporting crime: The media politics of criminal justice*. Oxford: Clarendon Press.

TV viewership in India grew by 9% in 2020: BARC (2021, March 1). *Advertising & Media Insider*. Retrieved from https://www.businessinsider.in/advertising/media/news/tv-viewership-in-india-grew-by-9-in-2020-barc/articleshow/81273821.cms

Pollak, J., & Kubrin, C. E. (2007). Crime in the News: How crimes, offenders and victims are portrayed in the media. *Journal of Criminal Justice and Popular Culture*, *14*(1), 59-83.

Raskar, B. J., & Pol, H. S. (2019). Cybercrime in India: trends and challenges. *Advance and Innovative Research*, 75.

Rogers, M. K. (2001). *A social learning theory and moral disengagement analysis of criminal computer behavior: An exploratory study*. [Doctoral Dissertation], University of Manitoba. Retrieved from https://scholar.google.com/scholar?q=Rogers%20MK%20%282001%29%20A%20social%20learning%20theory%20and%20moral%20disengagement%20analysis%20of%20criminal%20computer%20behavior%3A%20An%20exploratory%20study.%20Doctoral%20dissertation%2C%20University%20of%20Manitoba

Rojek, D.G. (2001). Chinese social control: From shaming and reintegration to "getting rich is glorious." In J. Liu, L. Zhang, S.F. Messner (Eds.), *Crime and social control in a changing China* (pp 89-103). Westport: Greenwood Press.

Surette, R. & Gardiner-Bess, R. (2014). Media, entertainment, and crime: Prospects and concerns. *The Routledge Handbook of International Crime and Justice Studies. Oxon: Routledge*.

Surette, R., & Otto, C. (2002).A test of a crime and justice infotainment measure. *Journal of Criminal Justice*, *30*(5), 443-453.

Sarmah, A., Sarmah, R., & Jyoti Baruah, A. (2017). A brief study on cyber crime and cyber laws of India. *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, *4*(6), 1633-1640.

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996).*United Nations*. Retrieved from https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce

United Nations (1995). The United Nations manual on the prevention and control of computer related crime. In *International Review of Criminal Policy* (pp. 43–44). Retrieved from https://digitallibrary.un.org/record/162804?ln=en

Weitzer, R., & Kubrin, C. E. (2004). Breaking news: How local TV news and real-world conditions affect fear of crime. *Justice Quarterly*, *21*(3), 497-520.

Yar, M. & Steinmetz, K.F. (2019).Cybercrime and Society. UK: Sage Publications Ltd

Zeviar-Geese, G. (1997). The State of the Law on Cyberjursidiction and Cybercrime on the Internet.*Gonzaga journal of international law*, *1*, 119.

9.8 चित्रों के संदर्भ

Ferguson, C. J., Cruz, A. M., Martinez, D., Rueda, S. M., Ferguson, D. E., & Negy, C. (2008). Personality, parental, and media influences on aggressive personality and violent crime in young adults. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, *17*(4), 395-414.

Holt, T. J. (2013). Examining the forces shaping cybercrime markets online. *Social Science Computer Review*, *31*(2), 165-177.

Internet world stats (2021).Internet World Stats Usage and Population Statistics. Retrieved from https://www.internetworldstats.com/stats.htm

9.9 अतिरिक्त ऑनलाइन संसाधन

- The human face of cybercrime. Identifying targets, victims, and their coping mechanisms | Request PDF (researchgate.net)
- (PDF) Media made criminality: The representation of crime in the mass media (researchgate.net)
- rios_mediaeffectscrime-style.pdf (harvard.edu)

पुनरावलोकन प्रश्नों के उत्तर

1) क, 2) ख, 3) ग, 4) क, 5) क, 6) घ, 7) ख, 8) ग, 9) घ, 10) ग

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY